

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2015—आषाढ़ 5, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय
सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के
प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1)
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के
अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक एफ 7 09/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एस. के. पैकरा, वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग को दिनांक 08-06-2015 से 02-07-2015 तक कुल 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पैकरा, वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश अवधि में श्री पैकरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पैकरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 7-27/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एच.एल. रात्रे, संचालक, वन विद्यालय, जगदलपुर को दिनांक 03-06-2015 से 04-07-2015 तक कुल 32 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री रात्रे, संचालक, वन विद्यालय, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री रात्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रात्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

नया रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 7-29/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती एस. समाजदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को दिनांक 30-05-2015 से 06-06-2015 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती समाजदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद के पद पर पुनः पदस्थ होंगी।
3. अवकाश अवधि में श्रीमती समाजदार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती समाजदार अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

नया रायपुर, दिनांक 12 जून 2015

क्रमांक एफ 7-01/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री आर.सी. श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि), पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 15-06-2015 से 04-07-2015 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 13-06-2015, 14-06-2015 एवं 05-07-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि), पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।
5. श्री श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि), पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद का प्रभार श्री राजेश मिश्रा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2015

क्रमांक एफ 7-07/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, कार्यकारी संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ को दिनांक 22-06-2015 से दिनांक 30-06-2015 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, कार्यकारी संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2015

क्रमांक एफ 7-09/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, कवीरधाम को दिनांक 15-06-2015 से 30-06-2015 तक कुल 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 13-06-2015 एवं 14-06-2015 के विज्ञापन शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राहुल भगत आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कवीरधाम के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री भगत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भगत, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5. श्री भगत की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, कवीरधाम के पद का प्रभार श्री ए. आर. कोराम, भापुसे, सेनानी, प्रथम चाहिनी, भिलाई को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2015

क्रमांक एफ 08-04/2011/10-2.—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) की धारा 63 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—
 - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम, 2015 कहलायेंगे.
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. परिभाषाएं.—
 - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18);

- (ख) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण;
- (ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड;
- (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष;
- (ङ) "समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित जैव विविधता प्रबंधन समिति;
- (च) "विशेषज्ञ सदस्य" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य तथा इसमें उसका अध्यक्ष सम्मिलित है;
- (छ) "शुल्क" से अभिप्रेत है इन नियमों में नियत कोई शुल्क;
- (ज) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (झ) "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत है बोर्ड का सदस्य-सचिव;
- (ञ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
- (ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और जो अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति.—

- (1) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- (2) उप-नियम (1) के अधीन जैव विविधता के मुद्दों पर अपेक्षित ज्ञान तथा विशेषज्ञता रखने वाले राज्य सरकार के सेवारत अधिकारी, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा कोई विख्यात व्यक्ति, जिसे जैव विविधता के संरक्षण, पोषणीय उपयोग और लाभों के साम्यपूर्ण विभाजन का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हो, बोर्ड का अध्यक्ष होगा. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की दशा में, आवेदक राज्य सरकार के प्रमुख सचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए;
- (3) राज्य सरकार, अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने हेतु एक समिति गठित कर सकेगी.

4. अध्यक्ष की पदावधि.—

- (1) बोर्ड का अध्यक्ष, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा.

- (2) अध्यक्ष, राज्य सरकार को कम से कम एक मास की लिखित सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा.
- (3) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह—
- (क) दिवालिया निर्णीत किया गया है; या
- (ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या

- (ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया हो; या
- (घ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित के लिये अहितकर है; या
- (ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो:

परंतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न के अधिकारी द्वारा सम्यक् तथा उचित जांच किये बिना एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, अध्यक्ष को उसके पद से नहीं हटाया जायेगा।

5. अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते.—

- (1) अध्यक्ष, प्रतिमाह निश्चित वेतन, जो एच.ए.जी. वेतनमान (रु. 75500-80000) प्रति माह के अधिकतम वेतन के समतुल्य होगा, का हकदार होगा। सेवानिवृत्त व्यक्ति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की दशा में, उसका वेतन ऐसे व्यक्तियों को यथा लागू राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
- (2) अध्यक्ष ऐसे भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास तथा अन्य ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

6. विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि और भत्ते.—

- (1) जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) के विषयों के विशेषज्ञों में से पांच सदस्य नियुक्त किए जाएंगे;
- (2) राजपत्र में उसकी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से, एक समय में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बोर्ड के प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य, अपना पद धारण करेंगे;
- (3) राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह—
 - (क) दिवालिया निर्णीत किया गया है; या
 - (ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धिदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
 - (ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया है; या
 - (घ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित के लिये अहितकर है; या
 - (ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो:

परंतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न के अधिकारी द्वारा सम्यक् तथा उचित जांच किये बिना एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, विशेषज्ञ सदस्य को उसके पद से नहीं हटाया जायेगा।

- (4) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य; बैठक भत्ते, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ते एवं ऐसे अन्य भत्ते, जैसा कि ऐसे आयोग या समितियों की बैठक में उपस्थित होने वाले राज्य शासन के आयोगों एवं समितियों के गैर शासकीय सदस्यों को लागू हों, के हकदार होंगे।

7. विशेषज्ञ सदस्य की रिक्तियों का भरा जाना.—

- (1) बोर्ड का कोई विशेषज्ञ सदस्य, राज्य सरकार को लिखित में सूचना देते हुए किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और बोर्ड में उस सदस्य का पद (सीट) रिक्त हो जायेगा;

- (2) बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नई नियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा तथा रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नामांकित किया गया है, केवल शेष कालावधि के लिए ही पद धारण करेगा।
8. पदेन सदस्यों की नियुक्ति. — पांच पदेन सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी—
- (एक) तीन पदेन सदस्य, निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—
- (क) कृषि विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (ख) पशु पालन विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (ग) मत्स्योद्योग विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (घ) उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, छत्तीसगढ़;
 - (च) संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (छ) पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (ज) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग;
 - (झ) छत्तीसगढ़ राज्य वनोपधि बोर्ड, रायपुर;
 - (ञ) छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, रायपुर;
 - (ट) आदिमजाति कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़.
- (दो) जैव विविधता के कार्यों की देख-रेख करने वाले वन विभाग, छत्तीसगढ़ का प्रमुख;
- (तीन) बोर्ड का सदस्य सचिव.
9. बोर्ड का मुख्यालय. — बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा.
10. बोर्ड का सदस्य सचिव. —
- (1) राज्य के वन विभाग के मुख्य संरक्षक/अतिरिक्त प्रमुख मुख्य संरक्षक को राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. उसकी नियुक्ति की अवधि एवं शर्तें, राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी;
 - (2) सदस्य सचिव, बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा. बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा. वह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा उनके मार्गदर्शन के अनुसार निर्मुक्त निधियों का भी उपयोग करेगा;
 - (3) बोर्ड द्वारा जारी समस्त आदेश या निर्देश, सदस्य सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षराधीन होंगे;
 - (4) सदस्य सचिव या तो स्वयं या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से, अनुमोदित बजट पर, समस्त भुगतानों को स्वीकृत तथा संचितरित कर सकेगा;
 - (5) सदस्य सचिव को प्राक्कलनों, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई है या जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति देने की शक्तियां, सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित की गई हैं, की तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति होगी;
 - (6) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त गोपनीय पत्रों का भारसाधक होगा तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा. बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा जब कभी भी इस प्रकार निर्देशित किया जाए, वह ऐसे पत्रों को प्रस्तुत करेगा;
 - (7) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अभिलेख, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्रम के अनुसार लिखने के पश्चात्, संधारित करेगा;
 - (8) सदस्य सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि उसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया जाये.

11. बोर्ड का बैठक (अधिवेशन).—

- (1) बोर्ड की बैठक, सामान्यतः छः मास की कालावधि के पश्चात् एक वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये;
- (2) बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या राज्य सरकार के निर्देश पर, अध्यक्ष, बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलायेगा;
- (3) प्रयोजन, समय तथा स्थल, जिस पर ऐसी बैठक आयोजित की जानी है, को विनिर्दिष्ट करते हुए, सामान्य बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिनों की तथा विशेष बैठक की कम से कम तीन दिनों की सूचना सदस्यों को दी जायेगी;
- (4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी;
- (5) बोर्ड का निर्णय, यदि आवश्यक हो तो, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से लिया जाएगा और अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा;
- (6) प्रत्येक सदस्य का एक मत (वोट) होगा;
- (7) बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति पांच होंगी;
- (8) कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय को, जिसकी उसने दस दिन की सूचना न दी हो, बैठक में विचारण के लिए लाने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न दें;
- (9) सदस्य को बैठक की सूचना, उसके अंतिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान पर संदेशवाहक द्वारा परिदत्त कर या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या इलेक्ट्रानिक मेल के माध्यम से दी जाएगी;
- (10) इसके अतिरिक्त, बोर्ड अपने कारबार के संव्यवहार के लिये ऐसी प्रक्रिया अधिनियमित कर सकेगा, जैसा कि वह उपयुक्त तथा उचित समझे.

12. बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति तथा उनकी पात्रतायें.—

- (1) बोर्ड, ऐसे प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में, जैसा कि वह उचित समझे, समितियों का गठन कर सकेगा, जो पूर्णतः सदस्यों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या अंशतः सदस्यों से या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी;
- (2) बोर्ड के सदस्यों को छोड़कर, विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए, ऐसे बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय हो;
- (3) बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा, जिनकी सहायता या सलाह, वह अपने किन्हीं कृत्यों के निष्पादन में तथा अपने किन्हीं बैठकों (सम्मेलनों) के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए अभिप्राप्त किया जाना उपयोगी समझे. बोर्ड से सहबद्ध ऐसे व्यक्ति, बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय अनुसार बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

13. बोर्ड के सामान्य कृत्य.— बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा, अर्थात्—

- (एक) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना;
- (दो) जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना;
- (तीन) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

- (चार) भारतीय नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन ऐसे आने वाले को छोड़कर भारत में पंजीकृत संगठन द्वारा किसी जैव संसाधन की वाणिज्यिक उपयोगिता के लिये जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता या वाणिज्यिक उपयोगिता के लिये अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करते हुये या अन्यथा विनियमित करना;
- (पांच) राज्य की जैव विविधता रणनीति तथा कार्य योजना के अद्यतीकरण की सुविधा प्रदान करना तथा उसे क्रियान्वित करना;
- (छः) अध्ययन करवाना तथा जांच और अनुसंधान प्रायोजित करना;
- (सात) बोर्ड के उसके कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, सलाहकार नियुक्त करना:
- परन्तु यदि किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से परे नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा समीचीन हो, तो बोर्ड ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगेगा.
- (आठ) जैव विविधता के संरक्षण, इसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैवीय संसाधनों के उपयोग तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े नियमावली, संहिता और मार्गदर्शन (डेटा) संग्रहित, संकलित तथा प्रकाशित करना;
- (नौ) जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम जनसंपर्क साधन के माध्यम से आयोजित करना;
- (दस) जैव विविधता के संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के कार्यक्रमों में लगे हुए या संभाव्यतः लगाए जाने वाले कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाना और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- (ग्यारह) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, जैव विविधता रजिस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस के माध्यम से जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध अतिरिक्त ज्ञान के लिए डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और प्रलेखीकरण प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना;
- (बारह) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासकीय संस्थानों, स्थानीय निकायों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों को निर्देश देना तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित समस्त उपायों में उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता को सरल बनाना;
- (तेरह) जैव विविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता एवं अनुदान स्वीकृत करना;
- (चौदह) अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का दायित्व लेना;
- (पन्द्रह) बोर्ड के कृत्यों तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना;
- (सोलह) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति से किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) द्वारा शुल्क की अनुशंसा करना, विहित करना, उपांतरित करना तथा संग्रहित करना;
- (सत्रह) अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये तरीके ढूंढना जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे सहयुक्त ज्ञान पर बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकार सम्मिलित हैं और समुचित रूप से ऐसी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखे जाने की प्रणालियां तथा पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में दर्ज की गई जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है;
- (अट्ठारह) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा जैव विविधता पर आश्रित जीविका, योजना एवं प्रबंधन के समस्त सेक्टर में, तथा राज्य से लेकर स्थानीय योजना के सभी स्तरों पर एकीकृत हो, जिससे उनके संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए योगदान देने हेतु ऐसे सेक्टर और प्रशासकीय स्तरों को समर्थ बनाया जा सके;

- (उन्नीस) बोर्ड का, उसकी स्वयं की प्राप्तिओं के साथ ही राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी निगमित करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना, परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया आवंटन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अनुसार प्रचलित किया जाएगा;
- (वीस) बोर्ड को समस्त प्राक्कलनों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियां होंगी; तथापि वह ऐसी प्रशासकीय स्वीकृति की शक्तियां, जैसी कि आवश्यक समझी जाएं, बोर्ड के सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा;
- (इक्कीस) बोर्ड द्वारा कृत्यों के प्रभावकारी निर्वहन के लिए, राज्य सरकार को पदों के सृजन की अनुशंसा करना तथा ऐसे पदों को सृजित करना, परंतु स्थायी प्रकृति का पद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा;
- (वाईस) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा कि अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये;
- (तेईस) जंगम तथा स्थावर, दोनों ही संपत्ति का अर्जन, धारण तथा व्यय करने और उसके लिए संविदा करने की शक्ति होगी.
14. **अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.—**
- (1) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के क्रियाकलाप कुशलतापूर्वक तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार चल रहे हैं;
- (2) अध्यक्ष को, बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों (स्टॉफ) पर सामान्य अधीक्षण की शक्ति होगी तथा अध्यक्ष, बोर्ड के क्रियाकलाप के संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा;
- (3) अध्यक्ष, बोर्ड का समस्त अधिवेशन आहूत करेगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चयों का उचित रीति में क्रियान्वयन हो रहा है.
15. **बोर्ड का सेटअप.—** बोर्ड का प्रशासकीय सेटअप, बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा.
16. **बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें.—**
- (1) बोर्ड के कर्मचारियों के निबंधन तथा शर्तें, राज्य सरकार के अधीन तत्स्थानी वेतनमान के समान ही होंगी. नियुक्तियां सामान्यतः संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न की जाएं.
- (2) बोर्ड में पदों पर भर्ती/पदोन्नति के तरीके, बोर्ड अनुमोदित करेगा.
17. **जैव संसाधनों तक पहुंच/उसके संग्रहण की प्रक्रिया.—**
- (1) भारत का कोई नागरिक या एक निगमित निकाय, संगम या संगठन, जो भारत में पंजीकृत है, जो अधिनियम की धारा 7 के परंतुक में यथा उपबंधित ऐसे अपवाद के साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिये या वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोग के लिये जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच/उनका संग्रहण चाहता है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-एक में बोर्ड को आवेदन करेगा. वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्रत्येक आवेदन जैव विविधता बोर्ड के पक्ष में 1000/- रुपये के डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;
- (2) बोर्ड, आवेदन की सम्यक् समीक्षा करने, संबंधित स्थानीय निकायों से परामर्श करने तथा ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् आवेदन का, उसकी प्राप्ति से, यथासंभव, 3 माह की कालावधि के भीतर, विनिश्चय करेगा;

इस संदर्भ में, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द “परामर्श” में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कदम भी सम्मिलित हैं :—

- (क) पहुंच/संग्रहण के लिए प्रस्ताव की, स्थानीय भाषा में, सार्वजनिक सूचना जारी करना;
- (ख) स्थानीय निकाय की साधारण सभा में चर्चा/संवाद; और

- (ग) प्रस्ताव के बारे में तथा संरक्षण एवं आजीविका हेतु उसके प्रभावों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् सभा से औपचारिक सहमति प्राप्त करना.
- (3) आवेदन के गुणागुण की संतुष्टि हो जाने पर, बोर्ड, आवेदन को अनुज्ञात कर सकेगा या ऐसे क्रियाकलाप को निर्वन्धित कर सकेगा, यदि उसकी राय हो कि ऐसे क्रियाकलाप, जैव विविधता के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप से उद्भूत लाभ के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) के उद्देश्यों के लिए हानिकारक या उसके प्रतिकूल हैं;
- (4) बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित अनुबंध द्वारा जैव संसाधनों की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव उपयोगिता निगमित होगा;
- (5) पहुंच/संग्रहण की शर्तों में जैव संसाधनों के, जिनके लिए पहुंच/संग्रहण स्वीकृत किया जा रहा है, संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से उपाय किए जाएंगे;
- (6) बोर्ड यदि यह समझता है कि आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा. नामंजूरी का आदेश जारी करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा;
- (7) पूर्व सूचना के लिए उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी एवं उससे असंबद्ध किसी भी व्यक्ति को या तो आशय के साथ अथवा किसी आशय के बिना, प्रकट नहीं की जाएगी.
18. जैव संसाधनों तक पहुंच से संबंधित क्रियाकलापों (गतिविधियों) पर निर्वन्धन.—
- (1) बोर्ड, यदि आवश्यक तथा समुचित समझे तो निम्नलिखित कारणों से जैव संसाधनों तक पहुंच के प्रस्ताव को निर्वन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए कदम उठायेगा, अर्थात् :—
- (एक) यदि पहुंच के लिए अनुरोध किसी संकटग्रस्त प्रजाति के लिए हो अथवा उस प्रजाति के लिए हो, जो इस तरह की पहुंच से संकटग्रस्त हो सकती हो;
- (दो) यदि पहुंच के लिए अनुरोध किसी स्थानीय तथा दुर्लभ प्रजाति के लिये हो;
- (तीन) यदि पहुंच के लिए अनुरोध का स्थानीय जनो की जीविका, संस्कृति तथा जातीय ज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
- (चार) यदि पहुंच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हो, जिसे नियंत्रित एवं कम करना कठिन हो;
- (पांच) यदि पहुंच के लिए अनुरोध से अनुवांशिक क्षरण होता हो अथवा पारिस्थितिक तंत्र क्रिया विधि प्रभावित होती हो;
- (छः) यदि राष्ट्रीय हित तथा देश में किए गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के विपरीत उद्देश्यों के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाये.
19. पहुंच/अनुमोदन का प्रतिसंहरण.—
- (1) बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन या तो किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के विनियमन हेतु किये गये अनुमोदन को वापस ले सकेगा तथा लिखित अनुबंध का प्रतिसंहरण कर सकेगा, अर्थात् :—
- (एक) इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि जिस व्यक्ति का उक्त जैव संसाधन तक पहुंच है, उसने अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या शर्तों का, जिन पर आवेदन स्वीकृत किया गया था, उल्लंघन किया है;
- (दो) अनुबंध के निर्वन्धनों का अनुपालन करने में विफल होने पर;
- (तीन) पहुंच/संग्रहण की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल होने पर;

(चार) पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण, आजीविका एवं ज्ञान के संदर्भ में लोकहित का उल्लंघन करने के कारण.

- (2) प्रतिसंहरण आदेश, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि अपेक्षित हो तथा ऐसे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही, पारित किया जाएगा;
- (3) बोर्ड, ऐसे प्रतिसंहरण के आदेश की एक प्रति, पहुंच को निषिद्ध करने तथा क्षति, यदि कोई हो, को निर्धारित करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति को भेजेगा तथा क्षति की वसूली के लिये कदम उठायेगा.

20. राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन.—

- (1) राज्य जैव विविधता निधि को बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा या बोर्ड के किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाये, प्रचालित किया जाएगा;
- (2) राज्य जैव विविधता निधि में दो पृथक लेखा शीर्ष होंगे, जिसमें से एक केन्द्र शासन/राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा राज्य सरकार की प्राप्तियों (अनुदान तथा ऋण) से संबंधित होगा जिसमें ऐसे अन्य स्रोतों से संबंधित प्राप्तियां, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये, सम्मिलित होगी तथा दूसरा, बोर्ड की विविध प्राप्तियों से संबंधित होंगी;
- (3) राज्य सरकार, बोर्ड को ऐसी निधि उपलब्ध करायेगी, जैसा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक समझे;
- (4) बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा कि निधि के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित विनिश्चय पारदर्शी हों.

21. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण.—

- (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण देते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;
- (2) बोर्ड, लेखाओं को रखने की प्रक्रिया अधिकथित करेगा. बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक लेखा परीक्षण बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा. राज्य का महालेखाकार भी लेखाओं की संपरीक्षा कर सकेगा;
- (3) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, आगामी वर्ष के सितंबर मास तक वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखा विवरण सहित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

22. जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबंधन.—

- (1) बोर्ड, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के परामर्श से, महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सरल बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा. बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य सरकार इस आशय की अधिसूचना जारी करेगी;
- (2) बोर्ड, विरासत स्थलों के चयन, प्रबंधन तथा अन्य पहलुओं पर मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें, संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए निर्णय लेने की व्यवस्था उपलब्ध है.

23. जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन.—

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा. तदनुसार, जैव विविधता प्रबंधन समितियां जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर के साथ-साथ नगर पंचायत, नगरपालिका एवं नगर निगम स्तर पर भी गठित की जायेगी;
- (2) उप-नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में स्थानीय निकायों द्वारा नामनिर्देशित सात स्थानीय जानकार व्यक्ति होंगे, जिनमें महिलाएं एक तिहाई से कम नहीं होंगी. इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्तियों को जड़ी बूटी विशेषज्ञ, कृषक, नान टिग्वर वनोपज संग्राहक/व्यापारी, मछली-पालक, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि, जिनके बारे में स्थानीय निकाय का यह विश्वास हो कि वह

जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, में से लिया जाएगा. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अनुपात, जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए. इस प्रकार नामनिर्देशित समस्त व्यक्ति, उक्त स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर के निवासी होने चाहिए तथा उनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए;

- (3) स्थानीय निकाय द्वारा वन, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, मछली पालन तथा शिक्षा विभाग में से छः विशेष आमंत्रितों को नाम निर्देशित किया जायेगा;
- (4) जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा. बराबर (मत) रहने की दशा में, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा;
- (5) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा उसे पुनः निर्वाचित किया जा सकेगा;
- (6) विभिन्न स्तरों की जैव विविधता प्रबंधन समितियों की बैठक में, विधान सभा के स्थानीय सदस्य तथा संसद सदस्य, विशेष आमंत्रित होंगे;
- (7) सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक क्षेत्रों, समुदायों और व्यक्तियों में से जैव विविधता के क्षेत्र में विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक तकनीकी सहयोग समूह, जिला पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाएगा. विशेषज्ञ समूह जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सहयोग प्रदान करेगा.
- (8) जैव विविधता प्रबंधन समितियों का प्रमुख कार्य जैव विविधता का संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) को सुनिश्चित करना होगा. जैव विविधता प्रबंधन समिति, जन जैव विविधता पंजी तैयार करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी. पंजी में, स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान, उनके औपधीय या कोई अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी अंतर्विष्ट होगी. जिला पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति, जन जैव विविधता पंजी डेटा बेस के जिला स्तरीय नेटवर्क के विकास के लिए उत्तरदायी होगी. जन जैव विविधता पंजी, बोर्ड द्वारा नियत की गई प्रक्रिया तथा प्रारूपों (फॉर्मेट) का उपयोग करते हुये, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिक निगम के स्तर पर तैयार की जायेगी. जैव विविधता प्रबंधन समितियां एवं स्थानीय निकाय, जन जैव विविधता पंजियों में अभिलिखित ज्ञान की संरक्षा सुनिश्चित करने, विशेषकर बाह्य अभिकरणों एवं व्यक्तियों तक इसकी पहुंच को विनियमित करने के लिये, उत्तरदायी होंगे;
- (9) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कृत्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन हेतु उसको संदर्भित किसी मामले पर सलाह देना या जैविक स्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्य तथा चिकित्सकों के बारे में आंकड़े (डेटा) संधारित करना है;
- (10) जिला तथा जनपद जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण संबंधी मुद्दों को निगमित करने का प्रयास करेंगी;
- (11) जैव विविधता प्रबंधन बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जन जैव विविधता पंजियां तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पंजियों में अभिलिखित समस्त जानकारीयों को बाहरी अभिकरणों तथा व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग तथा विनियोग के विरुद्ध विधिक संरक्षण प्राप्त हो;
- (12) जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक स्वीकृत पहुंच के विवरण (व्यौरें), अधिरोपित फीस के संग्रहण के विवरण तथा उनसे व्युत्पन्न लाभों के विवरण एवं उनके प्रभाजन (हिस्सा बांटने) की पद्धति के बारे में जानकारी देते हुए एक पंजी भी संधारित करेगी;
- (13) जैव विविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर पालिक निगम स्तर पर, ऐसे निबंधन विनिश्चित कर सकेगी, जिन पर उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच की अनुज्ञा प्रदान की जा सके तथा उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के

तरीके द्वारा प्रभारों का उद्ग्रहण करेगी। निजी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों को उद्ग्रहण का प्रमुख हिस्सा, भूमि के स्वामी/जोतधारक (कृषक)/ज्ञानधारक को देना चाहिए तथा शेष, जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए। सरकारी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों के उद्ग्रहण को पूर्ण रूप से जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए;

- (14) बोर्ड, जैव विविधता समितियों द्वारा पहुंच और फीस के संग्रहण के लिए उनसे परामर्श के पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा;
- (15) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिक निगम के स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियां, जन जैव विविधता पंजी से उत्पाद का उपयोग करते हुए, एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करेगी तथा इसके क्रियान्वयन के लिए या उसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायी होगी;
- (16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि प्रति सदस्यता, नियमित समन्वय बैठक तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा, जैसा कि स्थानीय निकायों द्वारा अवधारित किया जाये या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, विद्यमान स्थानीय संस्थानों के कृत्यों से जैव विविधता प्रबंधन समिति एकीकृत है।

24. स्थानीय जैव विविधता निधि. —

- (1) स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर पर एक जैव विविधता निधि गठित की जाएगी। स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रयोजन जिसके लिये निधि प्रयुक्त की जायेगी, वह रीति ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये;
- (2) बोर्ड, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण से उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऋण या अनुदान, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य स्रोतों के माध्यम से भी, पहुंच सकेंगे;
- (3) स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रचालन, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा निधि के प्रचालन के लिए, ऐसी रीतियां सम्मिलित करते हुये, जिसमें इसके कृत्य पारदर्शी हों, प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी;
- (4) निधि का उपयोग, संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए, जहां तक उसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत हो, किया जाएगा;
- (5) स्थानीय जैव विविधता निधि का लेखा, ऐसे प्रारूपों में तैयार किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;
- (6) जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी;
- (7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे, ऐसी रीति में संधारित तथा संपरोक्षित किए जाएंगे, जैसे कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें;

25. विवादों का निपटारे के लिए अपील. —

- (1) यदि किसी आदेश/निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या किसी नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर, प्राधिकरण तथा बोर्ड के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो या तो पीड़ित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड, अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्रारूप-दो में अपील प्रस्तुत करेगा। किसी आदेश/निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर एक वाई आदेश/निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के बीच विवाद होने की स्थिति में केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन उसे निर्दिष्ट करेगी;

(2) अपील के ज्ञापन में, मामले के तथ्यों, अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदक द्वारा विश्वास किये गये आधार तथा उसके लिए चाहे गये अनुतोष को अभिकथित करेगा। इसके साथ, यथास्थिति, ऐसे आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय, जिससे अपीलार्थी व्यथित हुआ है, की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होगी तथा वह अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा;

(3) अपील का ज्ञापन, चार प्रतियों में, यथास्थिति, ऐसे आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय, जिसके द्वारा अपीलार्थी व्यथित हुआ था, की अभिप्रमाणित प्रति के साथ, या तो व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से पावती के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपील प्रस्तुत करने में विलंब होने का अच्छा और पर्याप्त कारण था तो अपीलीय प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए 30 दिनों की पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, किंतु यथास्थिति, आदेश, निर्देश या नीतिगत निर्णय की तारीख से 45 दिनों की समाप्ति के पूर्व, अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा देगा;

(4) इसी प्रकार बोर्ड, बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बीच या जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बीच तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों और संबंधित स्थानीय निकायों के बीच विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया अभिकथित करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव।

प्ररूप-एक
(नियम 17 देखिए)

वाणिज्यिक उपयोग एवं सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच/संग्रहण के लिए आवेदन प्ररूप

भाग-क

1. आवेदक का पूर्ण विवरण

(क) नाम :

(ख) स्थायी पता :

(ग) सम्पर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :

(घ) संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा) :
(कृपया अभिप्रमाणन के लिए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)

(ङ) कारोबार की प्रकृति:

(च) भारतीय रूपये में संगठन का व्यापारावर्त (टर्नओवर) :

2. पहुंच के लिए चाही गई प्रकृति तथा जैविक सामग्री और/या सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच के बारे में विवरण तथा विशिष्ट जानकारी :—

(क) जैव संसाधनों की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारंपरिक उपयोग :

(ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें ग्राम, जनपद तथा जिला सम्मिलित हैं) :

(ग) पारंपरिक ज्ञान का विवरण/प्रकृति, उसकी विद्यमान अभिव्यक्तियां एवं उपयोग (मौखिक/दस्तावेजी) :

- (घ) पारंपरिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति/कुटुंब/समुदाय :
- (ङ) संग्रहित किये जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा :
- (च) समय सीमा, जिसमें जैव संसाधन संग्रहित किया जाना प्रस्तावित है :
- (छ) संग्रहण करने के लिए कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्या :
- (ज) पहुंच का प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें सम्मिलित है अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, व्युत्पन्न किया जा रहा वाणिज्यिक उपयोग और जिससे व्युत्पन्न होना प्रत्याशित है :
- (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण अथवा उपयोग से जैव विविधता के किसी घटक को खतरा है और क्या खतरा, पहुंच से उत्पन्न हो सकता है ?

3. कोई अन्य जानकारी :

भाग-ख

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं/हैं कि :

- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय समाधात नहीं होगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैव विविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग, स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

मैं/हम यह और घोषणा करते हैं/हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, सत्य एवं प्रामाणिक है तथा मैं/हम किसी गलत/असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार रहूंगा/रहेंगे.

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम

प्ररूप-दो

अपील के ज्ञापन का प्ररूप

(नियम 25 देखिए)

सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

अथवा

अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (जैसी भी स्थिति हो) के समक्ष

(जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन अपील का ज्ञापन)

अपील क्र.20.....

अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी (गण)

(यहां, यथास्थित, प्राधिकरण/बोर्ड के पदनाम का उल्लेख करें)

अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांकके विरुद्ध इस अपील के ज्ञापन को अधिमानता देने की प्रार्थना करता है :-

1. तथ्य :-
(यहां मामले में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें) :
2. आधार :-
(यहां उन आधारों का उल्लेख करें, जिन पर अपील की गयी है) :
(एक)
(दो)
(तीन)
3. चाहा गया अनुतोष :-
(एक)
(दो)
(तीन)
4. प्रार्थना :-
(क) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी के आदेश/निर्णय को अभिखंडित/अपास्त कर दिया जाये.

(ख) प्रत्यर्थी द्वारा तैयार नीति/मार्गदर्शक सिद्धांत/नियम/विनियम.....सीमा तक अभिखंडित/उपांतरित/निष्प्रभावी कर दिया जाए.

(ग)

5. इसी अपील के लिए फीस के रूप में आदेश क्र.दिनांक..... के माध्यम से रु.(रुपए) का भुगतान को किया गया.

स्थान :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

तारीख :

मुद्रासहित

पता
.....
.....

सत्यापन

मैं, अपीलार्थी, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं.
.....दिन..... को सत्यापित.

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

मुद्रासहित

पता
.....
.....

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्न :—उस आदेश, निदेश या नीति निर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की अधिप्रमाणित प्रति.

नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2015

क्रमांक एफ 08-04/2011/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 08-04/2011/10-2 दिनांक 1-06-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Raipur, the 1st June 2015

No. 08-04/2011/10-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003), the State Government, hereby, makes the following rules relating to implementation of Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003) in the State of Chhattisgarh, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

- (1) These Rules may be called Chhattisgarh Biological Diversity Rules, 2015.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003);
 - (b) “Authority” means the National Biodiversity Authority established under sub-section (1) of Section 8 of the Act;
 - (c) “Board” mean the Chhattisgarh State Biodiversity Board established under sub-section (1) of Section 22 of the Act;
 - (d) “Chairperson” means the Chairperson of the State Biodiversity Board appointed under clause (a) of sub-section (4) of Section 22 of the Act;
 - (e) “Committee” means Biodiversity Management Committee established by the local bodies under sub-section (1) of Section 41 of the Act;
 - (f) “Expert Member” means member of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board, as the case may be and includes the Chairperson thereof;
 - (g) “Fee” means any fee stipulated in these Rules;
 - (h) “Form” means form appended to these Rules;
 - (i) “Member Secretary” means the Member-Secretary of the Board;
 - (j) “Section” means a section of the Act;
 - (k) “State Government” means the Government of Chhattisgarh;

- (2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Manner of selection and appointment of the Chairperson.—**

- (1) The Chairperson of the Board shall be appointed by the State Government;
- (2) The Chairperson of the Board under sub-section (1) shall be a serving officer of the State Government on deputation basis with requisite knowledge and expertise on issues of biological diversity or an eminent person having adequate knowledge and experience in the conservation, sustainable use of biodiversity and equitable sharing of the benefits. In case, the appointment is on deputation, the applicant should not be below the rank of Principal Secretary to the State Government;
- (3) The State Government may Constitute a Committee to prepare a panel of suitable candidates for the post of the Chairperson.

4. **Term of Office of the Chairperson.—**

- (1) The Chairperson of the Board shall hold the office for a terms of three years and shall be eligible for re-appointment;

Provided that no Chairperson shall hold office beyond the age of 65 years.

- (2) The Chairperson may resign from his office by giving at least one month notice in writing to the State Government.
- (3) The Chairperson can be removed from his office by the State Government if he/she has—
- been adjudged as an insolvent; or
 - been convicted of an offence which involves moral turpitude; or
 - become physically or mentally incapable of acting as member; or
 - abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or
 - acquired such financial or other interest which is prejudicial to his functions as Chairperson :

Provided that the Chairperson shall not be removed from his office on any ground specified in sub-section (3), without a due and proper enquiry by an officer not below the rank of Principal Secretary to the Government of Chhattisgarh and without giving a reasonable opportunity of being heard.

5. **Pay and Allowances of the Chairperson.—**

- The Chairperson shall be entitled to fixed pay equivalent to the maximum of HAG+pay scale (Rs. 75500-80000) per month. In case, a retired person is appointed as Chairperson, his pay shall be fixed in accordance with the orders of the State Government as applicable to such persons;
- The Chairperson shall be entitled to such allowances, leave, provident fund, house and other perquisites etc. as may be determined by the State Government from time to time.

6. **Appointment, Term of office and Allowances of Expert Member.—**

- Five members shall be appointed from experts in matters of conservation of biological diversity, sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources;
- Every Expert Member of the Board shall hold his office for a term not exceeding three years at a time, from the date of publication of his appointment in the Official Gazette;
- The Expert Member can be removed from his office by the State Government if he/she has—
 - been adjudged as an insolvent; or
 - been convicted of an offence which involves moral turpitude; or
 - become physically or mentally incapable of acting as member; or
 - abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or
 - acquired such financial or other interest which is prejudicial his functions as an expert member :

Provided that the Expert Member shall not be removed from his office on any ground specified in sub-section (3), without a due and proper enquiry by an officer not below the rank of Principal Secretary to the Government of Chhattisgarh and without giving a reasonable opportunity of being heard.

- Every Expert Member attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official member of Commissions and Committees of the State Government attending the meeting(s) of such Commissions or Committees.

7. **Filling up of vacancies of Expert Member.—**

- (1) An Expert Member of the Board may resign from his office at any time by giving a notice in writing to the State Government and the seat of that member in the Board shall become vacant;
- (2) An unexpected vacancy in the Board shall be filled up by a fresh appointment and the person appointed to fill the vacancy shall hold office only for the remaining period of the member, in whose place he is nominated.

8. **Appointment of the Ex-officio Members.—**Five Ex-officio members shall be appointed by the State Government in following manner.—

- (I) Three Ex-officio members shall be appointed from the following department/organizations, namely:—
 - (a) Department of Agriculture, Chhattisgarh;
 - (b) Department of Animal Husbandry, Chhattisgarh;
 - (c) Department of Fisheries, Chhattisgarh;
 - (d) Department of Horticulture, Chhattisgarh;
 - (e) Council of Science and technology, Chhattisgarh;
 - (f) Department of Culture and Tourism, Chhattisgarh;
 - (g) Department of Environment, Chhattisgarh;
 - (h) Department of Indian System of Medicines and Homeopathy;
 - (i) Chhattisgarh State Medicinal Plant Board, Raipur;
 - (j) Chhattisgarh State Forest Research and Training Institute, Raipur;
 - (k) Department of Tribal Welfare, Chhattisgarh.
- (II) Head of the Department of Forest, Chhattisgarh dealing with the affairs of Biodiversity;
- (III) Member Secretary of the Board.

9. **Head Office of the Board.—**The Head Office of the Board shall be at Raipur.

10. **Member Secretary of the Board.—**

- (1) Chief Conservator/Additional Principal Chief Conservator of Forests from State Forest Department shall be appointed as the Member Secretary of the Board by the State Government on deputation basis. His terms and conditions of appointment shall be determined by the State Government;
- (2) The Member Secretary shall be responsible for day to day administration of the Board. He/She shall also be responsible for implementation of various activities or programmes approved by the Board. He/She may also utilize funds released by National Biodiversity Authority as per their direction;
- (3) All orders or directions issued by the Board shall be under the signature of the Member Secretary or any other officer authorized in this behalf by the Board;
- (4) The Member Secretary either himself or through an officer authorized for the purpose may sanction and disburse all payments against the approved budget;
- (5) The Member Secretary shall have power to give technical sanctions to the estimates for which administrative sanction has been given by the Board or for which powers of administrative sanction has been delegated to the Member Secretary;

- (6) The Member Secretary shall be in charge of all the confidential papers of the Board and shall be responsible for their safe custody. He shall produce such papers whenever so directed by the Board/ State Government;
- (7) The Member Secretary shall maintain the records of confidential reports of all the officers and staff of the Board after having been written as per channel specified by the State Government;
- (8) The Member Secretary shall exercise such other powers and perform such other function, as may be delegated to him from time to time by the Board.

11. Meetings of the Board.—

- (1) The Board shall meet at least two times in a year normally after a period of six months at the Head quarters of the Board or at such place, as may be decided by the Chairperson;
- (2) The Chairperson shall call a special meeting of the Board on a written request from not less than five members of the Board or on a direction of the State Government;
- (3) The Members shall be given at least fifteen days notice for holding an ordinary meeting and atleast three days notice for holding a special meeting specifying the purpose, time and venue, at which such meeting is to be held;
- (4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a presiding officer to be elected by the members present from amongst themselves;
- (5) The decision of the Board shall, if necessary, be taken by a simple majority of the members present and voting and the Chairperson or in his absence; the member presiding, shall have a second or casting vote;
- (6) Each member shall have one vote;
- (7) The quorum for the meeting of the Board shall be five;
- (8) No member shall be entitled to bring forward for the consideration of a meeting any matter of which he has not given ten days' notice unless the Chairperson in his discretion permits him to do so;
- (9) Notice of the meeting shall be given to the member by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or through electronic mail;
- (10) In addition, the Board may enact such procedure for the transaction of its business as it may deem fit and proper.

12. Appointment of Expert Committee by the Board and their entitlements.—

- (1) The Board may constitute any number of Committees for such purposes as it may think fit comprising wholly of members or wholly of other persons or partly of members or partly of other persons;
- (2) The member of the Expert Committee, other than the members of the Board shall be paid such sitting allowance, travel allowance and daily allowance for attending the meetings, as admissible to the non-official members of the Board;
- (3) The Board may invite any person, whose assistance or advice is necessary to obtain opinion in performing any of its functions and to participate in the deliberations of any of its meeting. Such person associated with the Board shall be entitled to get sitting allowances, travelling allowance and daily allowance as admissible to non-official members of the Board.

13. General functions of the Board.—The Board may perform the following functions, namely :—

- (i) lay down the procedure and guidelines to govern the activities provided under Section 23 of the Act;

- (ii) advise the State Government on any matter concerning conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (iii) provide technical assistance and guidance to the departments of the State Government;
- (iv) regulate by granting of approvals or otherwise requests for commercial utilization or bio-survey and bio-utilization for commercial utilisation of any biological resource by Indian citizen, or body corporate, association or organization registered in India except those covered under Section 3(2) of the Act;
- (v) facilitate updating and implementation of State Biodiversity Strategy and Action Plan;
- (vi) shall conduct studies and sponsor investigations and research;
- (vii) engage consultant for a specific period, not exceeding three years, for providing technical assistance to the Board in the effective discharge of its functions :

Provided that if it is necessary and expedient to engage any consultant beyond the period of three years, the Board shall seek prior approval of the State Government for such an engagement;

- (viii) collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guides relating to conservation of biological biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (ix) organize through mass media a comprehensive programme regarding conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge;
- (x) plan and organize training of personnel engaged or likely to be engaged in programmes for the conservation of biological diversity and sustainable use of its components;
- (xi) take steps to build up database and to create information and documentation system for biological resources and associated additional knowledge through biodiversity registers and electronics data bases, to ensure effective management, promotion and sustainable uses;
- (xii) give direction to Government organizations, the local bodies/Biodiversity Management Committees for effective implementation of the Act and to facilitate their meaningful participation in all measures relating to conservation, sustainable use, and equitable benefit-sharing;
- (xiii) sanction grants-in aid and grants to Biodiversity Management Committees for specific purposes;
- (xiv) undertake physical inspection of any area in connection with the implementation of the Act;
- (xv) report to the State Government about the functioning of the Board and implementation of the Act and the Rules made there under;
- (xvi) recommend, prescribe, modify the collection of the fee by BMCs from any person for accessing or collecting any biological resource for commercial purposes;
- (xvii) to devise methods to ensure protection of rights including intellectual property rights over biological resources and associated knowledge including systems of maintaining confidentiality of such information as appropriate, including the protection of the information recorded in People's Biodiversity Registers;
- (xviii) ensure that biodiversity and biodiversity-dependent livelihoods are integrated into all sectors of planning and management and at all levels of planning from local to state, to enable such sectors and administrative levels to contribute for conservation and sustainable use;

- (xix) prepare the annual budget of the Board incorporating its own receipts as also the devaluation from the State and Central Government provided that the allocation by the Central Government shall be operated in accordance with the budget provisions approved by the Central Government;
- (xx) Board shall have full powers for granting administrative sanctions to all the estimates; it may however delegate such administrative sanction powers to the Member secretary of the Board, as may be deemed necessary;
- (xxi) recommend creation of posts to State Government, for effective discharge of the functions by the Board and to create such posts, provided that no posts of permanent nature would be created without prior approval of the State Government;
- (xxii) perform such other functions, as may be necessary to carry out the provisions of the Act or as may be prescribed by the State Government from time to time;
- (xxiii) shall have power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and enter into contract for the same.

14. Powers and duties of the Chairperson.—

- (1) The Chairperson shall ensure that the affairs of the Board are run efficiently and in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under;
- (2) The Chairperson shall have the powers of general superintendence over the officers and staff of the Board and the Chairperson may issue necessary directions for the conduct and management of affairs of the Board;
- (3) The Chairperson shall convene and preside over all the meetings of the Board and shall ensure that all decisions taken by the Board are implemented in proper manner.

15. Setup of the Board.—The administrative setup of the Board shall be sanctioned by the State Government on recommendation of the Board.

16. Terms and conditions of service of employees of the Board.—

- (1) The terms and conditions of the employees of the Board shall be the same as those of corresponding scale of pay under the State Government. The appointments in general shall be on contractual basis or on deputation, unless otherwise decided by the State Government;
- (2) The Board shall approve the method of recruitment/promotion to the posts in the Board.

17. Procedure for access to/collection of biological resources.—

- (1) Any citizen of India or a body corporate, association or organization registered in India seeking access to/collection of biological resources for commercial utilization or bio-survey and bio-utilisation for commercial utilisation with the exception of those as provided in the proviso to Section 7 of the Act, shall make an application to the Board in Form-1 appended to these rules. Every application for commercial utilization shall be accompanied with a demand draft of Rs. 1,000/- in favour of Biodiversity Board;
- (2) The Board, after due evaluation of the application, consultation with the concerned local bodies and collecting such additional information as it may deem necessary, shall take decision on the application as far as possible within a period of 3 months of receipt of the same;

In this context, the word “consult”, for the purposes of the Act, includes the following steps, inter alia :—

- (a) issuing of public notice of the proposal for access/collection in local languages;
- (b) discussion/dialogue with the general assembly of the local body; and
- (c) formal consent from the assembly after being provided adequate information about the proposal and its implications for conservation and livelihoods.

- (3) On being satisfied with the merit of the application, the Board may allow the application or restrict any such activity if it is of the opinion that such activity is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity or equitable sharing of benefits arising out of such activity;
 - (4) A written agreement duly signed by an authorized officer of the Board and the applicant shall regulate commercial utilization or bio-utilization of biological resource;
 - (5) The conditions for access to/collection may specifically provide measures for conservation and protection of biological resources to which the access to/collection is being granted;
 - (6) The Board may reject the application, if it considers that the request cannot be acceded to, after recording the reasons thereof. Before passing an order of rejection, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard;
 - (7) Any information given in the form referred to in the sub-rule (1) for prior intimation shall be kept confidential and shall not be disclosed, either intentionally or unintentionally, to any person not concerned thereto.
18. **Restriction on activities related to access to biological resources.—**
- (1) The Board, if it deems necessary and appropriate, shall take the steps to restrict or prohibit the proposal for access to biological resources for the following reasons, namely :—
 - (i) If the request for access is for any threatened taxa or taxa that is likely to become threatened due to such access;
 - (ii) If the request for access is for any endemic and rare species;
 - (iii) If the request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods, culture or indigenous knowledge of the local people;
 - (iv) If the request for access may result in adverse environmental impact which may be difficult to control and mitigate;
 - (v) If the request for access may cause genetic erosion or affecting the ecosystem function;
 - (vi) If use of resources for purposes contrary to national interest and other related international agreements entered into by the country.
19. **Revocation of access/approval.—**
- (1) The Board may either on the basis of any complaint or *suo moto* withdraw the approval granted to regulate the access or collection of biological resource for commercial utilization and revoke the written agreement under the following conditions, namely :—
 - (i) on the basis of reasonable belief that the person accessing the said bio-resource has violated any of the provision of the Act or the condition on which application was allowed;
 - (ii) on failure to comply with the terms of agreement;
 - (iii) on failure to comply with any of the conditions of access/collection;
 - (iv) on account of overriding public interest with reference to protection of environment and conservation of biological diversity, and protection of the rights, livelihoods and knowledge of local communities.
 - (2) The revocation order shall be made only after making such inquiries as required and after giving the person so affected an opportunity of being heard;
 - (3) The Board shall send a copy of such revocation order to the Biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.

20. Operation of State Biodiversity Fund.—

- (1) The State Biodiversity Fund shall be operated by the Member-Secretary of the Board or by such any other officer of the Board as may be authorized by the Board in this behalf;
- (2) The State Biodiversity Fund shall have two separate heads of account, one relating to the receipts (grants and loans) from the Central Government/National Biodiversity Authority and State Government, including receipts from such other sources as decided by the State Government and other relating to miscellaneous receipts of the Board;
- (3) The State Government shall provide such fund to the Board as the State Government think necessary for affective implementation of the Act;
- (4) The Board shall frame guidelines to ensure that decisions regarding the management and use of the Fund are transparent.

21. Annual Report and Annual Statement of Accounts.—

- (1) The Board shall prepare its annual report for each financial year giving detailed account of its activities and annual statement of accounts and submit it to the State Government;
- (2) The Board shall lay down the procedure for upkeep of the accounts. The accounts of the Board shall be audited annually by the Chartered Accountant appointed for the purpose by the Board. The Accountant General of the State may audit the accounts as well;
- (3) The Board shall submit the Annual Report together with the audited statement of accounts for each financial year to the State Government by September of the following year.

22. Establishment and Management of Biodiversity Heritage Site.—

- (1) The Board shall, in consultation with the local bodies and other key stakeholders, take necessary steps to facilitate setting up of areas of significant biodiversity values as Heritage Sites. The State Government may issue notification to this effect on recommendation from the Board;
- (2) The Board shall frame guidelines on the selection, management and other aspects of Heritage Sites, ensuring that these provide decision-making role for relevant Biodiversity Management Committees

23. Constitution of Biodiversity Management Committees (BMC).—

- (1) Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its area of jurisdiction. Accordingly, Biodiversity Management Committees are to be constituted at Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat level as well as at Nagar Panchayat, Municipality and Municipal Corporation level;
- (2) The Biodiversity Management Committees constituted under sub-rule (1) shall have seven local knowledgeable persons nominated by the local body, of which not less than one third shall be women. The persons so nominated should be drawn from amongst the herbalists, agriculturist, Non Timber Forest Produce collectors/traders, fisher-folk, representative of user associations, community workers, academicians and any person/representative of organization on whom the local body trusts that he can significantly contribute to the mandated of the Biodiversity Management Committee. The proportion of members belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe should not be less than the percentage of Scheduled Caste/Scheduled Tribe population of the district. All the persons so nominated should be residents within the said local body limits and be in the voter lists;
- (3) The local body shall nominate six special invitees from forest, agriculture, animal husbandry, health, fisheries and education department;
- (4) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst the members of the Committee in a meeting to be presided over by the chairperson of the local body. The chairperson of the local body shall have the casting vote in case of a tie;

- (5) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall have tenure of three years and may be re-elected;
- (6) The local Member of the Legislative Assembly and Member of Parliament would be special invitees to the meetings of the Biodiversity Management Committees at different levels;
- (7) A technical support group comprising of experts in the field of biodiversity drawn from Government agencies, Non Government Organizations, academic field, community and individuals shall be established by Zila Panchayat/district administration. The expert group shall lend support to Biodiversity Management Committees;
- (8) The key mandate of the Biodiversity Management Committees shall have to ensure conservation, sustainable utilization and equitable sharing of benefits from the biodiversity. The Biodiversity Management Committees shall facilitate preparation of People's Biodiversity Registers. The Registers shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them. The Zila Panchayat Biodiversity Management Committee shall be responsible for developing a district wide network of people's Biodiversity Registers database. The People's Biodiversity Registers shall be prepared at the Gram Panchayat/Nagar Panchayat/Municipality/Municipal Corporation level by using the process and the format set by the Board. The Biodiversity Management Committees and local bodies shall be responsible for ensuring the protection of the knowledge recorded in the People's Biodiversity Registers, specially to regulate its access to outside agencies and individuals;
- (9) The other functions of the Biodiversity Management Committees are to advice on any matter referred to it by the State Biodiversity Board or Authority for granting approval or to maintain data about the local vairs and practitioners using the biological resources;
- (10) The Zila and Janpad Biodiversity Management Committees shall strive to incorporate biodiversity conservation concerns in the developmental planning at the local level;
- (11) The Biodiversity Management Board shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers and shall ensure that all information recorded in such Registers receives legal protection against misuse and appropriation by outside agencies and individuals;
- (12) The Biodiversity Management Committee shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing;
- (13) The Biodiversity Management Committee at Gram Panchayat/Nagar Panchayat/Municipality/Municipal Corporation level may decide the terms on which it would permit access to biodiversity resources and associated knowledge to different parties for various purpose within their jurisdiction and levy charges by way of collection of fees from any person for accessing or collecting any biological resources for commercial purpose from the area falling within its jurisdiction. The major share of levy charged for the material collected/cultivated from private land should be given to the owner/cultivator of the land/knowledge holders and the balance should be deposited in local Biodiversity Fund of Biodiversity Management Committee. The levy charged for the material collected/cultivated from Government land should be totally deposited in local Biodiversity Fund Biodiversity Management Committee;
- (14) The Board shall frame guidelines for access and fee collection by the Biodiversity Management Committees after consulting them;
- (15) The Gram Panchayat/Nagar Panchayat/Municipality/Municipal Corporation level Biodiversity Management Committees shall prepare a Biodiversity Management Plan using output from people's Biodiversity Register and shall be responsible for or participate in its implementation;
- (16) The local bodies shall ensure that the Biodiversity Management Committee are integrated with the functioning of exiting local institutions by cross-membership, regular coordination meetings and other such measures, as determined by the local bodies or as specified by the Board.

24. Local Biodiversity Fund.—

- (1) A Local Biodiversity Fund shall be constituted at each level of local body. Management, custody of the Local Biodiversity Fund and the purposes for which the fund shall be applied in the manner as may be prescribed by the State Government;
- (2) The Board shall provide to the local body any loan or grant received by it from State Government, Central Government or from the Authority for the purpose of the Act. The local body can also access such funds from other sources as may be decided upon by the State Government;
- (3) The Local Biodiversity Fund shall be operated by the Biodiversity Management Committees. The Board shall lay down the operational guidelines for operation of the fund by the Biodiversity Management Committees, including ways, in which its functioning is transparent;
- (4) The fund shall be used for the conservation and promotion of biodiversity in the areas falling within the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the local community in so far such use is consistent with conservation of biodiversity;
- (5) The account of the Local Biodiversity Fund shall be prepared in such forms as may be specified by the Board ;
- (6) The Biodiversity Management Committees shall prepare its annual report, giving full account of its activities during the previous financial year and submit a copy thereof to the District Magistrate of the area and to the Board;
- (7) The accounts of the Local Biodiversity Fund shall be maintained and audited in such manner, as may be specified by the Board.

25. Appeal for settlement of disputes.—

- (1) If a dispute arises between the Authority and the Board on account of implementation of any order/direction or on any issue of policy decision, either of the aggrieved parties i.e., Authority or the Board, as the case may be, prefer an appeal in Form-II under Section 50 of the Act. In the case of dispute between one Board and other Board(s) on account of implementation of any order/direction or on any issue of policy decision, the Central Government shall refer the same to the National Biodiversity Authority under sub-section (4) of Section 50 of the Act;
- (2) The memorandum of appeal shall state the facts of the case, the ground relied upon by the appellant for preferring the appeal and the relief sought for. It shall be accompanied by an authenticated copy of the order, direction or policy decision, as the case may be, by which the appellant is aggrieved and shall be duly signed by the authorized representative of the appellant;
- (3) The memorandum of appeal shall be submitted in quadruplicate accompanied with the authenticated copy of the order, direction or policy decision as the case may be, by which the appellant is aggrieved, either in person or through a registered post with acknowledgement due, within 30 days from the date of the order, direction or policy decision:

Provided that if the appellate authority is satisfied that there was good and sufficient reason for the delay in preferring the appeal, the appellate authority, for reason to be recorded in writing allow the appeal to be preferred after the expiry of the aforesaid period of 30 days but before the expiry of 45 days from the date of the order, direction, or policy decision as the case may be;

- (4) The Board shall similarly lay down the procedure for settlement of disputes between Board and the Biodiversity Management Committees or amongst Biodiversity Management Committees and between Biodiversity Management Committees and relevant local bodies.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

FORM I
(See rule 17)

Application form for access to/collection of Biological resources for commercial utilization and associated traditional knowledge

Part A

1. Full particulars of the applicant
 - (a) Name :
 - (b) Permanent address :
 - (c) Address of the contact person/agent, if any :
 - (d) Profile of the organization (personal profile in case the applicant is an individual).
(Please attached relevant documents of authentication) :
 - (e) Nature of business :
 - (f) Turnover of the organization in Indian Rupee :
2. Details and specific information should nature of access sought and biological material and/or associated knowledge to be accessed :—
 - (a) Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use :
 - (b) Geographical location (including village, janpad and district) of proposed collection :
 - (c) Description/nature of traditional knowledge, its existing manifestations and uses (oral/documented):
 - (d) Any identified individual/family/community holding the traditional knowledge :
 - (e) Quantity of biological resources to be collected :
 - (f) Time limit in which the biological resources are proposed to be collected :
 - (g) Name and number of person authorized by the company for making the collection :
 - (h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it :
 - (i) Whether any collection or use of the resource endangers any component of biological diversity and the risk which may arise from the access ?
3. Any other information :

Part B**Declaration**

I/We declare that :

- Collection and use of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources ;
- Collection and use of proposed biological resources shall not entail any environmental impact;
- Collection and use of proposed biological resources shall not pose any risk to biodiversity including ecosystems, species, and genetic diversity;
- Collection and use of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities ;

I/We further declare the Information provided in the application form is true and correct and I/We shall be responsible for any incorrect/wrong information.

Place :

Date :

Signature :

Name :

Title :

FORM II**Form of Memorandum of Appeal**

(See rule 25)

BEFORE THE SECRETARY, MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS, GOVERNMENT OF INDIA,
NEW DELHI

OR

CHAIRPERSON, NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY

(as the case may be)

(Memorandum of appeal under Section 50 of the Biological Diversity Act, 2002)

Appeal No.of 20

.....
..Appellant(s)

.....

Vs.

.....
..Respondent(s)

.....

(here mention the designation of the Authority/Board, as the case may be)

The appellant begs to prefer this Memorandum of Appeal against the order dated.....passed by the Respondent on the following facts and grounds :—

1. FACTS :
(Here briefly mention the facts of the case) :

2. GROUNDs :

(Here mention the grounds on which the appeal is made) :

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. RELIEF SOUGHT :

- (i)
- (ii)
- (iii)

4. PRAYER :

- (a) In the light of what is stated above, the appellant respectfully prays that the order/decision of the respondent be quashed/set-aside.
- (b) The Policy/guidelines/rules/regulations framed by the Respondent be quashed/modified/annulled to the extent.....
- (c)

5. The amount of Rs.(Rupees.....) as fee for this appeal has been paid tovide order No.dt.....

Place :

Dated :

Signature and seal of the appellant

Address :

VERIFICATION

I, the appellant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified on.....day of

Signature and Seal of the Appellant

Address :

Signature of the Authorised representative of the appellant

Enclosures : Authenticated copy of the order, direction or policy decision, against which the appeal has been preferred.